भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 543

03 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न पर गुणवत्ता नियंत्रण

543. श्री राजीव राय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत राशन की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न पर गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुणवत्ता मानदंडों के उल्लंघन के मामले में कोई कार्रवाई की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या गुणवत्ता में खामियों के मामलों में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): विभाग ने भारत सरकार के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को खरीद से लेकर वितरण तक खाद्यान्नों के गुणवत्ता मानकों को समान रूप से बनाए रखने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअल तैयार और जारी किया है।

(ग) और (घ): खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में निर्धारित मानकों के अनुपालन की जाँच हेतु संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों द्वारा खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूने लिए जा रहे हैं। जिन मामलों में खाद्य नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, वहाँ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ड.) और (च): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य सरकार को एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना आवश्यक है, जिसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति या यथा निर्धारित अन्य तंत्र शामिल हो सकते हैं। जब भी इस विभाग को किसी भी स्रोत से कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जाँच और उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है।

*****